

फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी

TYGER HOME FINANCE PRIVATE
LIMITE पंजीकृत कार्यालय एस-18/
19, महिमा ट्रिनीटी मॉल, प्लॉट नं05,
स्वेज फॉर्म, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला,
जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री
रोहन बागड़ी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार
बागड़ी

अप्रार्थीगण

1. बेबी राम नियास पत्नी श्री ललित
पत्ता 293, वा0नं08, हरिजनबस्ती, नागौर
2. रामनिवास पुत्र रतनलाल पता 293, वा0नं08,
हरिजन बस्ती, नागौर

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या- 170 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04/11/25	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में दर्ज गैर सायल नम्बर 1 बेबी राम नियास पत्नी श्री ललित पता 293, वा0नं08, हरिजन बस्ती नागौर दर्ज हैं, जबकि प्रोपर्टी दस्तावेज में श्रीमति बेबी पत्नी श्री ललित जाति बाल्मिकी निवासी किले के पीछे हरिजन बस्ती फलौदी जिला जोधपुर दर्ज तथा पत्रावली के संलग्न आधार कार्ड में भी बेबी अर्धागिनी ललित, किले के पीछे, हरिजन बस्ती, फलौदी दर्ज हैं, जबकि धारा 13(2) के नोटिस में ऋणी के पत्ते में नागौर का पत्ता अंकित करते हुवे नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार पत्रावली में ऋणी के वास्तविक निवास स्थान एवं मोरगेट प्रोपर्टी के पत्ते पर धारा 13(2) पर विधिवत् नोटिस तामिल नहीं हुआ है। जबकि प्रकरण में आदेश जारी करने से पूर्व यह आवश्यक है कि ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस विधिवत् तामिल हो चुका हो ? इस प्रकरण में गैर सायल ऋणी को विधिवत् धारा 13(2) का नोटिस तामिल नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रकरण में ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस का विधिवत् तामिल का अभाव पाये जाने से प्रकरण पत्रावली में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण प्रार्थी का खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(अरुण कुमार पुरोहित) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	